बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
—:: संकल्प ::—

पत्रांक— अ०सं०क०—05(क)—बि०अ०आ०—02/2023.....163 ..../पटना, दिनांक:—12.01.2024

विषयः— बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा 04 (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित किये जाने का प्रावधान है जिसमें एक सदस्य, दो उपाध्यक्ष एवं अधिकतम आठ सदस्य का मनोनयन किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 16 की कंडिका (1) में उल्लेख है कि सरकार के प्रशासनिक विभाग के सचिव या सरकार द्वारा मनोनित कोई पदाधिकारी जो उप सचिव से नीचे स्तर का न हो आयोग का सदस्य सचिव होगा।

2. सदस्य सचिव के पद पर सरकार द्वारा मनोनयन अथवा उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाना है।

3. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 की धारा 16 की कंडिका (1) के आलोक में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव के 01 (एक) पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उपरोक्त कंडिका—3 में उल्लेखित पद कुल 01 पद के विरूद्ध संलग्न अनुमानित वार्षिक व्यय **₹11,65,608.00 (ग्यारह लाख पैसठ हजार छः सौ आठ रूपये)** मात्र होगी।

5. उक्त पद हेतु व्यय माँग संख्या—30 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद से मुख्य शीर्ष— 2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ, उप मुख्यशीर्ष— 00, लघु शीर्ष— 090—सचिवालय, उपशीर्ष—0012—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग—बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (विपत्र कोड सं०—30—2251—00—090—0012) से विकलनीय होगा।

6. उक्त राशि की व्ययन एवं निकासी हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना द्वारा किया जाएगा।

7. उपर्युक्त प्रस्ताव पर दिनांक—20.10.2023 को प्रशासी पदवर्ग समिति की सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक—08.01.2024 के मद सं०—01 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9. संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(डॉ० सफीना ए०एन०)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक— अ०सं०क०—05(क)—बि०अ०आ०—02/2023................................/पटना, दिनांक............2024

प्रतिलिपिः— ई—गजट शाखा, (सी०डी० सहित), वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

ह०/—

सरकार के प्रधान सचिव

ई॰मेल

ज्ञापांक– अ०सं०क०–05(क)–बि०अ०आ०–02/2023......................../पटना, दिनांक..........2024

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– अ०सं०क०–05(क)–बि०अ०आ०–02/2023......................../पटना, दिनांक..........2024

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–01, दिनांक–08.01.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– अ०सं०क०–05(क)–बि०अ०आ०–02/2023......................../पटना, दिनांक..........2024

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– अ०सं०क०–05(क)–बि०अ०आ०–02/2023......................../पटना, दिनांक..........2024

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना/बिहार राज्य शिया/सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना/पीठासीन पदाधिकारी, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– अ०सं०क०–05(क)–बि०अ०आ०–02/2023......................../पटना, दिनांक..........2024

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– अ०सं०क०–05(क)–बि०अ०आ०–02/2023...163................../पटना, दिनांक 12.01..2024

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.1.24
सरकार के प्रधान सचिव